11383 70000 11108 28000

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND 129273

सत्यानन्द सहाय
दस्तावेज नवीस मेदिनीनगर
ला० न० 11 / 2003

20.12.13

21000-
62-50
0934
21003-44

विक्रय-पत्र

1. **लेख्यकारी का नाम एवं पुरा पता :-**

श्री प्रदीप कुमार सिन्हा पिता का नाम स्व0 कमला प्रसाद सिन्हा जाति-कायस्थ, निवास स्थान मौजा बारालोटा, पोस्ट-जी. एल. ए. कॉलेज, थाना- मेदिनीनगर जिला-पलामू, झारखण्ड पेशा सेवा निवृत, नागरिकता भारतीय।

Pan No –AKXPS7887G Birth Date- 14-05-1949

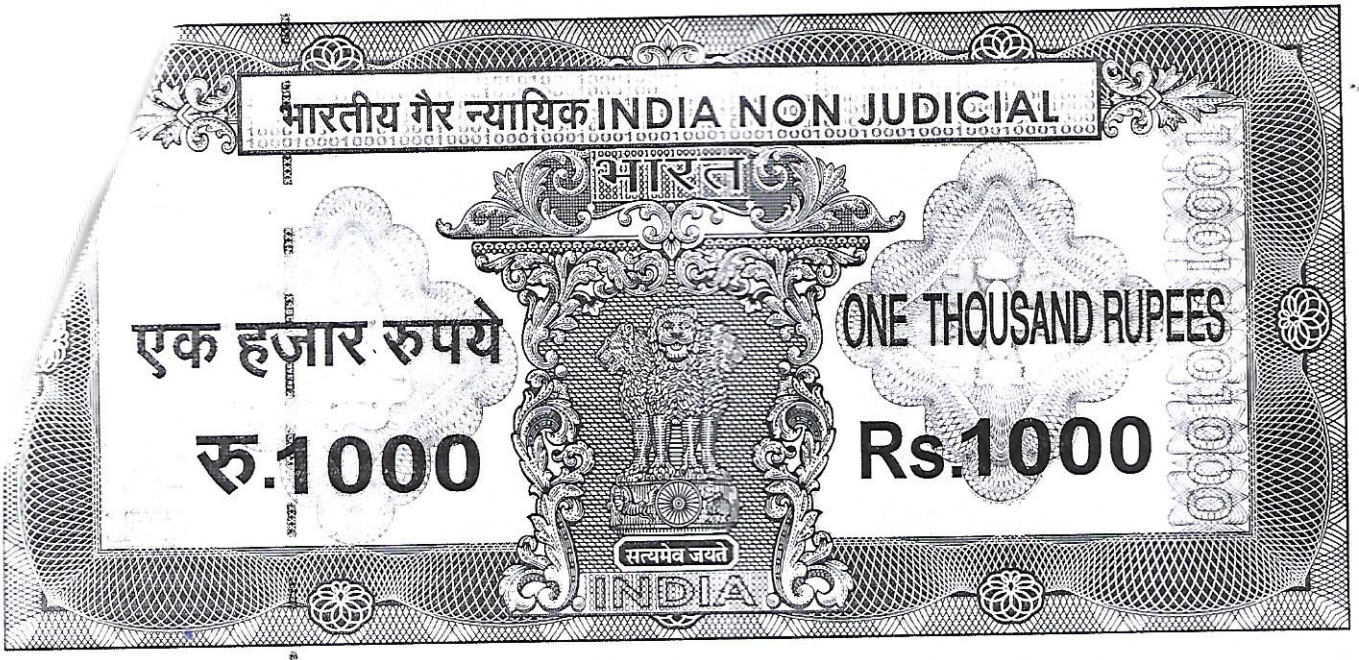

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

A 454315

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पुरा पता :-**

श्रीमति पारूल कुमारी पति श्री विशाल कुमार जाति सूढ़ी निवास स्थान मोहल्ला- (टाउन नं0 दो) रेड़मा, पोस्ट एवं थाना- मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड, पेशा गृहणी, नागरिकता भारतीय।

Pan No –CZXPK 3516K Birth Date- 03-04-1987

3. **लेख्य प्रकार :-** विक्रय-पत्र (Sale Deed)

4. **मूल्य :-** (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य मो0 7,00,000/- (सात लाख) रूपये मात्र।

(ख) ग्रामीण आवासीय मो0 1,75,000/- (एक लाख पचहतर हजार) रूपये प्रति डीसमील के दर से।

(ग) देय मूल्य :- मो0 7,00,000/- (सात लाख) रूपये मात्र।

5. **सम्पति :-** मवाजी 04 (चार) डीसमील जमीन जिसका हिन्दी माप 1743'-38'' (एक हजार सात सौ तेतालीस दशमल तीन आठ) वर्गफीट क्षेत्रफल होता है। अन्तर्गत मौजा बारालोटा थाना मेदिनीनगर नगरपालिका क्षेत्र से बाहर, निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला

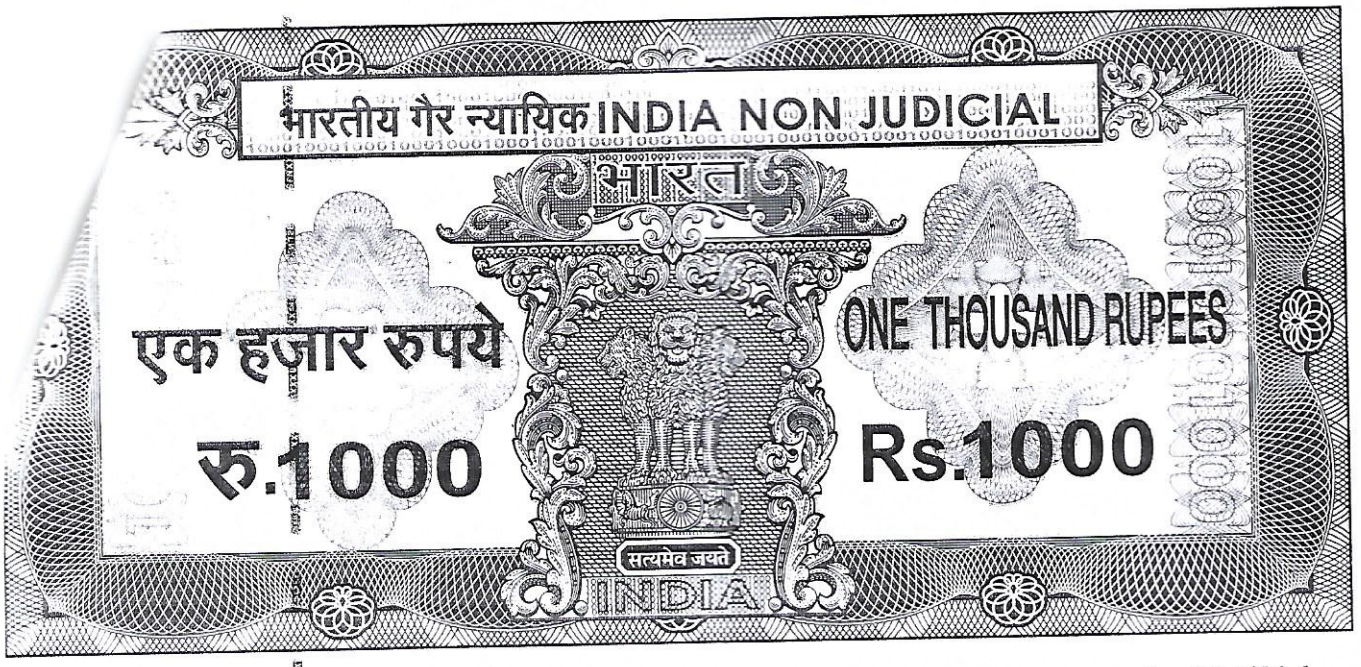

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये | ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 | Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

A 454316

पलामू हकियत पार्टीशन सूट नं0 39/66 द्वारा हासिल है। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रय भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, जो इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है।

विक्रय की जाने वाली भूमि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0
बारालोटा	198	51	1

खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा
320 (तीन सौ बीस)	1890A (अठारह सौ नब्बे ए)	04 डी0 (चार डीसमील)

चौहदी

उ0- पी0 डब्लू0 डी0 पांकी रोड

द0- बिक्रेता नीज का जमीन

पू- 11'-0'' (ग्यारह) फीट चौड़ा रोड

प0- आज के क्रेता श्री रमा सिन्हा

नोट :-

उतर से दक्षिण दोनों तरफ 57'2''

पुरब से पश्चिम उतर तरफ 31'0''

पुरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 30'0''

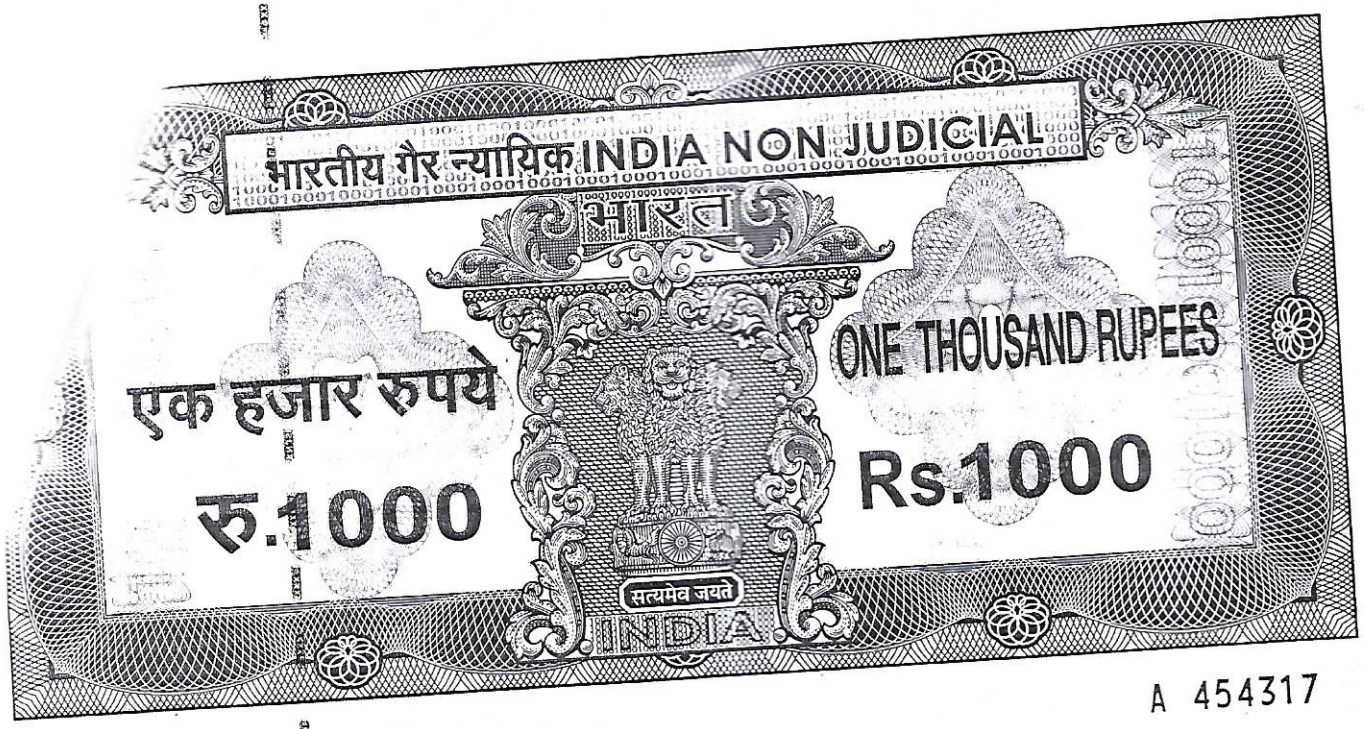

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

A 454317

झारखण्ड JHARKHAND

वार्षिक लगान :- मोबलिक 2/- (दो) रूपये अलावे शेष।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू, झारखण्ड।

विदित हो कि इस दस्तावेज के खाना संख्या 5 (पाँच) वर्णित लेख्य सम्पति के साथ-साथ और अनेकों खाता, प्लॉट की जमीन को लेख्यकारी के पिता कमला प्रसाद सिंन्हा और वादी बनाम् श्री 108 भगवान शिव और अन्य प्रतिवादी सब जज पलामू के न्यायालय में पार्टिशन सूट नं0 39/66 दायर किए थे। बाद में सभी पक्षकारों के बीच उक्त मुकदमा में सुलहनामा के आधार पर दिनांक 31.05.1977 को सुलहनामा स्वीकार कर लिया गया एवं सुलहनामा के आधार के मुताबिक लेख्यकारी श्री प्रदीप कुमार सिन्हा को तख्ते में इस दस्तावेज के खाना संख्या पाँच में वर्णित लेख्य सम्पति के साथ-साथ अन्य और खाता प्लॉटों की जमीन कुल 24.29 (चौबीस दशमल दो नौ) एकड़ भूमि हिस्से में प्राप्त हुआ। इस प्रकार उक्त पार्टिशन सूट नं0 39/66 का अंत हुआ। लेख्यकारी ने अपने हिस्से में मिले जमीन का नामान्तरण अपने नाम से कराकर माँग पंजी में अपना नाम दर्ज कराकर सरकार को मालगुजारी देकर राजस्व रसीद प्राप्त करते चले

आ रहे हैं। इस बंअवारा के आधार पर लेख्यकारी को पूर्ण स्वामित्व एवं हक-कब्जा प्राप्त हुआ। इस बंटवारा की तिथिसे इस विक्रय सम्पति का उपयोग एवं उपभोग शांतिपूर्वक करते चले आ रहे हैं। इस दस्तावेज की खाना पाँच में वर्णित लेख्य सम्पति ऋणभार से मुक्त है। लेख्यकारी ने लेख्य सम्पति को लकर किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई मामला नहीं किया है। इसे न तो बंधक रखा है और न ही इस सम्पति पर कोई भी संस्था या व्यक्ति का भार है। दूसरे शब्दों में इस दसतावेज की सम्पूर्ण लेख्य सम्पति हक एवं कब्जा के दोषों से मुक्त है सम्पूर्ण जिम्मेवारी एवं जवाबदेही लेख्यकारी अपने उपर लेते हैं।

पुनः विदित हो कि लेख्यकारी को अपनी विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक रूपये की आवश्यकता हुई। उसने भरसक प्रयास किया कि किसी अन्य श्रोंतों से उक्त वांछित रूपये की व्यवस्था हो जाए, परन्तु यह हो न सका इसलिए उसने इस दसतावेज के खाना संख्या पाँच में वर्णित लेख्य सम्पति को विक्रय करने का कठोर निर्णय करते हुए घोषणा किया। लेख्य सम्पति के बिक्री की घोषणा को सुनकर कई इच्छुकखरीददार उससे सम्पर्क किए, परन्तु इस दस्तावेज के लेख्यधारी ही केवल उसे उचित बाजार मूल्य पर क्रय करने के लिए तैयार हुए। दोनों पक्षों के बीच दस्तावेज के खाना संख्या पाँच की लेख्य सम्पति की खरीद बिक्री को लकर कई दौर की बातचीत हुई और अन्त में लेख्यकारी मोबलिक 7,00,000/- (सात लाख) रूपये में लेख्य सम्पति को लेख्यधारी से विक्रय करने के लिए और इस जरेसम्मन (मूल्य) की राशि पर लेख्यधारी उसे क्रय करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच लेख्य सम्पति की बिक्री एवं खरीद का सौदा कुल मोबलिक 7,00,000/- (सात लाख) रूपये में तय हो गया। दोनों पक्षों के बीच सौदा पक्का

हो जाने के पश्चात् ही लेख्यधारी ने लेख्यकारी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेड़मा के चेक संख्या 287329 दिनांक 10.12.2013 द्वारा मोबलिक 1,00,000/- (एक लाख) रूपये, दूसरा इसी बैंक के चेक संख्या 287331 दिनांक 11.12.2013 द्वारा मोबलिक 2,00,000/- (दो लाख) रूपये, तीसरा इसी बैंक के चेक संख्या 287333 दिनांक 12.12.2013 द्वारा मोबलिक 2,00,000/- (दो लाख) रूपये, चौथा इसी बैंक के चेक संख्या 287334 दिनांक 16.12.2013 द्वारा मोबलिक 2,00,000/- (दो लाख) रूपये बनाम चारों चेक बनाम प्रदीप कुमार सिन्हा के नाम से दे दिया है जो उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं इस तरह कुल चारों चेक से कुल मिलाकर मो0 7,00,000/- (सात लाख) रूपये भुगतान कर दिया । इस प्रकार इस दस्तावेज के निष्पादन के साथ ही लेख्यकारी लेख्यधारी को लेख्य सम्पति पर अपना स्वामित्व एवं कब्जा का विधिवत हस्तान्तरण कर दे रहे हैं तथा उन्हें आज की तिथि से लेख्य सम्पति पर हक एवं कब्जा प्राप्त हो गया। अब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे लेख्य सम्पति का जिस प्रकार भी उपयोग एवं उपभोग करना चाहें, करें। उस पर मकान बनावें, अपने परिवार सहित निवास करें, उसका स्वयं उपयोग करें या भाड़े पर लगावें। जैसा चाहें वैसा करें। आज की तिथि से लेख्यकारी का कोई भी सरोकर इस लेख्य सम्पति से नहीं रहा । विक्रय -पत्र निष्पादन की तिथि से पूर्व तक लेख्य सम्पति पर जो भी इनका हक-कब्जा एवं स्वामित्व था, वह लेख्यधारी में समाहित हो गया। उन्हें यह भी आजादी है कि वे इस विक्रय -पत्र के आधार पर अंचल कार्यालय , मेदिनीनगर से लेख्य सम्पति का नामान्तरण करारकर साल-दर-साल मालगुजारी अदा कर अपने नाम से राजस्व रसीद प्राप्त किया करें। लेख्य सम्पति पर उनके हक-कब्जा के उपयोग एवं उपभोग में

सही- प्रदीप कुमार सिन्हा
20.12.13

लेख्यकारी या उनके उतराधिकारी एवं स्थानापन्न को आज से कोई सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में रहेगा। तकाबजुल बदलैन का हो जाना इस बात का पूरा सबूत रहेगा कि जरेसम्मन के पूरे रूपए वसूल हो गए।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंन्दिर-मस्जिद की भूमि अथवा भूदान से प्राप्त भूमि या किसी प्रकार का प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है।

इस लिए मैनें अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वच्छता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस विक्रय पत्र केवाला बय-ला-कलामी को लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक 20 — 12 — 2013 ईस्वी

टंकक

लव

Pareel Kumari

सत्यानन्द महतो
दस्तावेज नवीस मेदिनीनगर
ला० न० 11 / 2003

प्रमाणीत किया जाता है कि इस दस्तावेज में ऊपर वाली का फोटो चिपकाया गया है और उनके बाएं हाथ के सभी अंगुलियों का निशान हमारे सामने लगाया है बा सत्यानन्द महतो नवीस।